उत्तरांचल शासन
नियोजन विभाग, ...
संख्या–76 /20सू0का0/2004
देहरादूनः दिनांकः 21 फरवरी, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

बीस सूत्री कार्यक्रम को प्रभावकारी तथा समयबद्ध ढंग से कार्यान्वयन हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में श्री राज्यपाल महोदय द्वारा विकास खण्ड स्तरीय समिति के गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। विकास खण्ड स्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

1–	सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अध्यक्ष
2–	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
3–	क्षेत्रीय सांसद	सदस्य
4–	क्षेत्रीय विधायक	सदस्य
5–	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नामित क्षेत्र पंचायत के ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य/संयोजक, पंचायतीराज प्रकोष्ठ/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व सैनिक/युवा मोर्चा/महिला मोर्चा तथा विकास कार्यों में रुचि रखने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों, प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य कुल 23 सदस्य नामित किये जायेंगे।

2– समिति की बैठक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सम्बन्धित परगनाधिकारी ही बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

3– समिति के निम्नलिखित कार्य/अधिकार होंगे:–

(1) जिला स्तरीय समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बीस सूत्री कार्यक्रम का नियोजन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वय और उसका सम्पादन का मूल्यांकन।

(2) समिति सम्पूर्ण बीस सूत्री कार्यक्रम का निश्चित रूप से निर्धारित नीति तथा समयबद्ध प्रोग्राम के अनुसार सम्पादन सुनिश्चित करेगी।

(3) समिति को ऐसे मदों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा जहां उसकी जानकारी में यह बात आये कि उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी मद को निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया है। जांच पड़ताल के उपरान्त समिति अपनी संस्तुति उपयुक्त अधिकारी के पास भेजेगी, जो कानून के अनुसार उसके नि पादन के लिए जिम्मेदार होगा और जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समुचित कार्यवाही करेगा।

(4) बीस सूत्री कार्यक्रम के सम्पादन से सम्बन्धित विभागों के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों को समिति की बैठकों में आवश्यकतानुसार आमंत्रित करना तथा सम्बन्धित विभागीय अभिलेखों को मंगाना और उनकी जांच करना।

(5) समिति की बैठक बुलाने का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी का होगा।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव।

संख्या–76 (1)/20सू०नि०/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय समिति, बीस सूत्री कार्यक्रम, उत्तरांचल।
2– समस्त जिलों के प्रभारी मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3– उत्तरांचल के समस्त संसद सदस्य/विधायक ।
4– अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
7– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8– समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरांचल शासन।
9– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10– समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल।
11– समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव नियोजन।

c:/nagl/20PP-Committee-03